उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(चिकित्सा अनुभाग–6)

संख्या–216/2016/1983/पॉच–6–2016–4(30)89टी.सी.–1

लखनऊ, दिनांक 26, अगस्त, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1983, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में विद्यमान (ख) और (छ) निकाल दिये जायेंगे।

नियम 4 का संशोधन — 3. उक्त नियमावली में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1
वर्तमान उप–नियम

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :

	अस्थायी	**योग**
(i) संयुक्त निदेशक (विद्युत्)	—	1
(ii) उप निदेशक (विद्युत्)	1	—
(iii) सहायक अभियन्ता (विद्युत कोष्ठक)	5	4
	(एक यांत्रिक, एक इलेक्ट्रानिक, तीन विद्युत)	

परन्तु राज्यपाल –

(एक) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :

पद का नाम	**पदों की संख्या**		
	स्थायी	**अस्थायी**	**योग**
(एक) अपर निदेशक (विद्युत्)	—	1	01
(दो) संयुक्त निदेशक (विद्युत्)	—	1	01
(तीन) उप निदेशक (विद्युत्)	—	1	01
(चार) सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक)	4	4	08

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में पदों के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(1) **संयुक्त निदेशक (विद्युत्)**	मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक (विद्युत्) जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।
(2) **उप निदेशक (विद्युत्)**	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता (विद्युत कोष्ठक) जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।
(3) **सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक)**	**(क)** 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **(ख)** 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश विद्युत्–चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक के मौलिक रूप से नियुक्त प्राद्योगिकविद् में से, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(1) **अपर निदेशक (विद्युत्)**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (विद्युत्) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा संवर्ग में बीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(2) **संयुक्त निदेशक (विद्युत्)**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों (विद्युत्) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(3) **उप निदेशक (विद्युत्)**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ताओं (विद्युत् कोष्ठक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(4) **सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक)**	(क) पचहत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा : परन्तु यह कि सरकार, आयोग के परामर्श से भर्ती के किसी वर्ष में सीधी भर्ती इस रीति में विनियमित कर सकती है कि सीधी भर्ती के लिये विहित प्रतिशत बना रहे। **(ख)** पच्चीस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्राद्योगिकविदों में से, जो अभियान्त्रिकी डिप्लोमा रखते हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

2

नियम 8 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
8. शैक्षिक अर्हतायें	सहायक अभियन्ता (विद्युत कोष्ठक) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए:— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि, या (ख) किसी प्राविधिक संस्था से यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ चिकित्सालय साज—सज्जा के अनुरक्षण का कम से कम सात वर्ष का अनुभव।	शैक्षिक अर्हता 8.	सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक) के पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स / विद्युत्/बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अवश्य रखनी चाहिए।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
10. आयु	सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाती हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये गये और पहली जुलाई को, यदि वह पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिसके लिये अनुभव एक अनिवार्य अर्हतायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने वर्ष का अनुभव इस प्रकार अपेक्षित हो ; परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने विनिर्दिष्ट की जाये।	आयु 10.	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि किसी अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती की रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
14. रिक्तियों का अवधारण	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	**रिक्तियों का अवधारण 14.**	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया	(1) सीधी भर्ती के लिये चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग के द्वारा निहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है। (2) आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हतायें पूरा करते हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने वह उचित समझे। (3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता-क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उसके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा। सूची में क्रमों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक न हो) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15.**	सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक) के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 के अनुसार की जायेगी।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियमों (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेगें, अर्थात्:–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (1) संयुक्त निदेशक (विद्युत) और उप निदेशक (विद्युत) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, की जायेगी जिसमें निम्न–लिखित होंगे:– **(एक) सचिव,** उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। **(दो) सचिव,** उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग। **(तीन) महानिदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। **टिप्पणी – ज्येष्ठ सचिव समिति का अध्यक्ष होगा।** (2) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रता नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जायं, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	(1) अपर निदेशक (विद्युत), संयुक्त निदेशक (विद्युत) एवं उप निदेशक (विद्युत) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। **टिप्पणी – चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम–निर्देशन समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।** (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

नियम 19 का प्रतिस्थापन

10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
19. परिवीक्षा	(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अविध को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा। जब तक अवधि बढ़ायी जायें : परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) उपनियम 3 के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	परिवीक्षा 19.	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप–नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय अथवा जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

11\. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
22. वेतनमान	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों— मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :	वेतनमान 22.	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय। (2) उत्तर प्रदेश विद्युत् चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :

स्तम्भ 1:

पद का नाम	वेतनमान रू0
(एक) संयुक्त निदेशक(विद्युत्)	3700—125—4700—150—5000 ।
(दो) उप निदेशक(विद्युत्)	3000—100—3500—123—4500 ।
(तीन) सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक)	2200—75—2800—द0रो0—100—4000।

स्तम्भ 2:

पद का नाम	वेतनमान वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रू0)
(1) अपर निदेशक (विद्युत्)	वे0बै0—4	37400—67000	8700/—
(2) संयुक्त निदेशक (विद्युत्)	वे0बै0—3	15600—39100	7600/—
(3) उप निदेशक (विद्युत्)	वे0बै0—3	15600—39100	6600/—
(4) सहायक अभियन्ता (विद्युत् कोष्ठक)	वे0बै0—3	15600—39100	5400/—

नियम 24 का निकाला जाना

12\. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 24 निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.216/2016/1983/V-6-2016-4(30)89TC-1, dated August, 26, 2016:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MEDICAL, HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(MEDICAL SECTION-6)

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 216/2016/1983/V-6-2016-4(30)89TC-1

Dated Lucknow, August, 26, 2016

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Electro-Medical Maintenance Cell Engineering Service Rules, 1983 :

THE UTTAR PRADESH ELECTRO-MEDICAL MAINTENANCE CELL ENGINEERING SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Electro-Medical Maintenance Cell Engineering Service (Second Amendment) Rules, 2016 (2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 3	2.	In the Uttar Pradesh Electro Medical Maintenance Cell Engineering Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, the existing clauses (b) and (g) shall be omitted.
Amendment of rule 4	3.	In the said rules, in rule 4, for existing sub-rule (2) setout in column 1 below, the sub-rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing sub-rule

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below :-

	Permanent	Temporary
(i) Joint Director (Electrical)	-	1
(ii) Deputy Director (Electrical)	1	-
(iii) Assistant Engineer (Electrical Cell)	5	4

(one Mechanical, one Electronics and three Electrical)

Column 2
Sub-rule as hereby substituted

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :-

Name of post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
(i) Additional Director (Electrical)	-	1	01
(ii) Joint Director (Electrical)	-	1	01
(iii) Deputy Director (Electrical)	-	1	01
(iv) Assistant Engineer Electrical Cell)	4	4	08

Column 1	Column 2
Provided that the Governor may:- (i) leave unfilled or hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; (ii) create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	**Provided that:-** (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Substitution of rule 5

4. In the said rules, for existing rule 5 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule		Column 2 Rule as hereby substituted	
Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :	Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:
(1) Joint Director (Electrical)	By promotion from amongst substantively appointed Deputy Director (Electrical) who have completed five years service as such.	(1) Additional Director (Electrical)	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors (Electrical) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment and who have completed twenty years service in the Uttar Pradesh Electro-Medical Maintenance Cell Engineering Service Cadre on the first day of the year of recruitment.
(2) Deputy Director (Electrical)	By promotion from amongst substantively appointed Assistant Engineer (Electrical Cell) who have completed five years service as such.	(2) Joint Director (Electrical)	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors (Electrical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
		(3) Deputy Director (Electrical)	By promotion through the selection committee from amongst substantively appointed Assistant Engineers (Electrical Cell) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Assistant Engineer (Electrical Cell)	(a) 75% by direct recruitment. (b) 25% by promotion from amongst substantively appointed Technologists of U.P.Electro - Medical Maintenance Cell.	(4) Assistant Engineer (Electrical Cell)	(a) Seventy five percent by direct recruitment through the Commission : Provided that the Government may, in consultation with the Commission, regulate direct recruitment in any year of recruitment in such manner that the prescribed percentage for direct recruitment is maintained. (b) Twenty five percent by promotion through the Commision from amongst substantively appointed Technologists who possess diploma in engineering and have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 8

5. In the said rules, for existing rule 8 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
Academic qualification 8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical Cell) must possess : (a) Degree in Mechanical/ Electronics/Electrical Engineering from any recognised University, or (b) Diploma in Mechanical, Electrical or Electronics from any technical institution having at least seven years experience for the maintenance of hospital equipment.	Academic qualification 8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical Cell) must possess Degree in Mechanical / Electronics/ Electrical/ Bio Medical Engineering from any recognised University/ Institute.

Substitution of rule 10.

6. In the said rules, for existing rule 10 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31. Provided that the upper age-limit in the case of the candidate for whom experience is a necessary qualification shall be greater by the number of years experience so required: Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of july of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Substitution of rule 14.

7. In the said rules, for existing rule 14 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
Determination of vacancies 14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled by direct recruitment during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.	Determination of vacancies 14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Substitution of rule 15

8. In the said rules, for existing rule 15 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule		Column 2 Rule as hereby substituted	
Procedure for direct recruitment	15. (1) Application for being considered for selection for direct recruitment shall be invited by the Commission in the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission. (2) The commission shall be having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6 call for interview such number of candidates, who fulfil the required qualifications as they consider proper. (3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 per cent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	**Procedure for direct recruitment**	15. Direct recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical Cell) shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Assistant Engineer's Combined Competitive Examination Rules, 2014, as amended from time to time.

Amendment of rule 16

9. In the said rules, in rule 16, for existing sub-rules, (1) and (2) setout in column 1 below, the sub-rules as setout in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing sub-rules	Column 2 Sub-rules as hereby substituted
(1) Procedure for recruitment by promotion to the post of Joint Director (Electrical) and Deputy Director (Electrical) shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through Selection Committee comprising: (i) Secretary to the Government in the Medical, Health and Family Welfare Department. (ii) Secretary to the Government in the Personnel Department. (iii) Director General of Medical, Health and Family Welfare Department, Uttar Pradesh. **NOTE:The senior Secretary will be the Chairman of the Committee.**	(1) Recruitment by promotion to the posts of Additional Director (Electrical). Joint Director (Electrical) and Deputy Director (Electrical) shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commission, Rules, 1992, as amended from time to time. **NOTE -** Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.
(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility Rules, 1986, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them as may be considered proper.	(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the Candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Services Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

2

Substitution of rule 19

10. In the said rules, for existing rule 19 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
Probation 19. (1) A person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.	Probation 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
(2) The appointing authority may for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases Specifying the date upto which the extension is granted. Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantial post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

Substitution of rule 22

11. In the said rules, for existing rule 22 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
Scale of Pay. **22.** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether is a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules are as follows:	**Scale of Pay.** **22.** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government from time to time. (2) The scales of pay at the time of the commencement of The Uttar Pradesh Electro - Medical Maintenance Cell Engineering Service (Second Amendment) Rules, 2016 are given as follows:

Name of Post	Scale of Pay
(i) Joint Director (Electrical)	Rs. 3700-125-4700-150-5000
(ii) Deputy Director (Electrical)	Rs. 3000-100-3500-125-4500
(iii) Assistant Engineer (Electrical Cell)	Rs. 2200-75-2800-E.B.-100-4000

Name of Post	Scale of Pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs)	Corresponding Grade Pay (Rs)
(1) Additional Director (Electrical)	P.B.-4	37400-67000	8700/-
(2) Joint Director (Electrical)	P.B.-3	15600-39100	7600/-
(3) Deputy Director (Electrical)	P.B.-3	15600-39100	6600/-
(4) Assistant Engineer (Electrical Cell)	P.B.-3	15600-39100	5400/-

Omission of rule 24.

12. In the said rules, the existing rule 24 shall be omitted.

By order,

ARUN KUMAR SINHA
Principal Secretary